

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा।

मालपुरा (094) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि - श्री कन्हैया लाल पता जयपुर रोड़, टोडारायसिंह, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : टोंक

तारीख : 11.12.2018

अजय कुमार शर्मा
(रिटर्निंग ऑफिसर)
रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन क्षेत्र
(094) मालपुरा विधानसभा
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 94-मालपुरा

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.


Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** (State) from **94-Malpura** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Sh. Kanhiya Lal (Name) **Jaipur Road, Todaraisingh, Tehsil Todaraisingh, District Tonk** (Address) sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognised /registered political party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency.

Place:- Tonk

Date:- 11.12.2018


Ajay Kumar Arya
Returning Officer
(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate)
AC 94-Malpura

(094) नौलपुरा विधान निर्वाचन क्षेत्र